संख्या-97/2023/1612/22-2-2022-17(445)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2023***

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामपाल वर्मा पुत्र श्री जैराम वर्मा, निवासी जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामपाल वर्मा पुत्र श्री जैराम वर्मा, जो ग्राम-राजगढ़, थाना-मोतीगंज, जनपद-गोण्डा का रहने वाला है, द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 22.06.2006 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा व कट्टा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-90/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307, 302, 427, 504, 149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06, गोण्डा के आदेश दिनांक 26.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक **30.11.2021** तक 15 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 48 वर्ष तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्यामपाल वर्मा (बन्दी संख्या-163/11) पुत्र श्री जैराम वर्मा, निवासी जनपद-गोण्डा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-97/2023/1612(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in